

डिकी व मुकदमें इत्बाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

हासा बनाम मोहन वगै०

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 218/11
पेश करने की दिनांक - 17.11.11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रुबरु श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई प्रतिवादी सीताराम रावत अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :-

ग्राम राजोसी के हाल खसरा नम्बर 4467 रकबा 0.30 की आराजी पर हासा/काना को ख०न० 198/6394 रकबा 0.08, 4466/0.12, 4496/0.19, 4615/0.06, 4643/0.07, 4703/0.10, 4729/0.13, 4736/0.01, 4737/0.10, 4738/0.19, 4739/0.06, 4740/0.10, 4774/6142 रकबा 0.24, 4787/0.07, 4788/0.11 किता 15 रकबा 1.63 की आराजी पर सीमा/मादू, काली/मोहन, शान्ति/मेवा 1/3 हि., मोहन/काना 1/9 हि०, शान्ति/मेवा, सोहन बा० राजू ना०बा० पि० मेवा, गीता, लक्ष्मी, विमला, कमला पि० मेवा ना०बा० बसरबराही माता शान्ति 1/9 हि०, लाली पत्नी बीरम, सीता/बीरम, माधु/बीरम 1/3 हि० को खातेदार घोषित किया जाता है। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्ववत रहेगा। ख०न० 193 व 4735/6251 शामिल रहेगे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअख्त दस्तखत व मोहर अदालत के आज 15 माह मार्च सन् 2018 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार- 2015

प्राथमिक डिक्की व मुकदमें इन्फाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

हांसा बनाम मोहन

दावा बाबत :- 53, 88, 188, आर.टी.ए. 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 218/2011

पेश करने की दिनांक - 17.11.11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री जयप्रकाश नारायण (आर. ए. एस) - व हाजिर श्री सुखदेव चौधरी अभिभाषक मुद्दई श्री सीताराम रावत व तहसीलदार नसीराबाद अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्की दी जाती है कि :-

ग्राम स्रजोसी के खाता संख्या 194/96 किता 20 रकबा 2.12 है0 (ख0न0 4638/5655 व 4716 के अतिरिक्त) व ख0न0 208 रकबा 0.66 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर समस्त सहखातेदारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक _____ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14 माह जूलाई सन् 2015 को जारी की गयी।



मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुकमनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुकमनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद